



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दो अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भण्डाफोड़, 21 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र सहित

03 अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 28.05.2022

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा “ऑपरेशन पाताल” चलाकर अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपदीय पुलिस को “ऑपरेशन पाताल” चलाकर सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी.सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवम् क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना मिश्रिख व महोली पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए कुल 03 अभियुक्तों 1. अवधेश पुत्र राजाराम लोहार निवासी ग्राम निरहन थाना पिसावां जनपद सीतापुर 2. दिनेश उर्फ दीनू पुत्र नेतन निवासी ग्राम फत्तेपुर हरैया थाना महोली जनपद सीतापुर 3.जितेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र शिवराज मिश्रा निवासी बरबटापुर थाना महोली जनपद सीतापुर को विभिन्न स्थानों से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनमें एक अभियुक्त अवधेश उपरोक्त मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है। अभियुक्तगण के कब्जे से मौके से **11 अदद निर्मित तमंचा, 10 अदद अर्द्धनिर्मित शस्त्र, 04 अदद जिंदा/खोखा कारतूस, 03 अदद नाल एवम् अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत के उपकरण बरामद** हुए हैं। अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा गया है।

अभियुक्तगण उपरोक्त पूर्व में लूट/चोरी/नकबजनी/ अवैध शस्त्र फैक्ट्री/हत्या का प्रयास आदि जैसे विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहे हैं, जिनके संबंध में पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना/साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहों के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

थाना मिश्रिख कार्यवाही-

उक्त निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी.सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवम् क्षेत्राधिकारी मिश्रिख श्री सुशील यादव के नेतृत्व में थाना मिश्रिख पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए

हिस्ट्रीशीटर अवधेश पुत्र राजाराम लोहार निवासी ग्राम निरहन थाना पिसावां जनपद सीतापुर को ग्राम कोल्हुवा स्थित बाग से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तों के कब्जे से मौके से **04 अदद निर्मित तमंचा, 07 अदद अर्द्धनिर्मित शस्त्र, 02 अदद जिंदा/खोखा कारतूस, 03 अदद नाल, एवम् अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत के उपकरण बरामद** हुए हैं। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना मिश्रित पर मु0अ0सं0 260/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त पूर्व में लूट/अवैध शस्त्र फैक्ट्री/हत्या का प्रयास आदि जैसे विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहा है, जिसके संबंध में अभियुक्त अवधेश उपरोक्त पर करीब आधा दर्जन अभियोग थाना मिश्रित एवं पिसावां पर पूर्व में पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना/साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहों के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 260/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मिश्रित सीतापुर

अभियुक्त का नाम/ पता- अवधेश पुत्र राजाराम लोहार निवासी ग्राम निरहन थाना पिसावां जनपद सीतापुर

बरामदगी विवरण-

- 02 अदद तमंचा 315 बोर निर्मित
- 02 अदद तमंचा 12 बोर निर्मित
- 01 अदद तमंचा 12 बोर अर्द्धनिर्मित
- 02 अदद तमंचा 315 बोर अर्द्धनिर्मित
- 04 अदद बाडी तमंचा अर्द्धनिर्मित
- 02 अदद लोहे की नाल 12 बोर
- 01 अदद लोहे की नाल 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण।

पुलिस टीम मिश्रित-

1. उप निरीक्षक श्री धीरेन्द्र सिंह
2. हे0का0 राजकुमार सिंह
3. हे0का0 अशर्फीलाल गुप्ता

4. का0दुष्यन्त कुमार

5. का0 जानेन्द्र सिंह

आपराधिक इतिहास अपराधी अवधेश उपरोक्त –

1. मु0अ0स0 62/04 धारा 307 भादवि थाना पिसावा सीतापुर ।
2. मु0अ0स0 63/04 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना पिसावा सीतापुर ।
3. मु0अ0स0 383/06 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना मिश्रिख सीतापुर ।
4. मु0अ0स0 197/07 धारा 392/411 भादवि थाना मिश्रिख सीतापुर ।
5. मु0अ0स0 24/10 धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम थाना पिसावा सीतापुर।
6. मु0अ0स0 220/20 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना संदना सीतापुर ।
7. मु0अ0स0 260/22 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना मिश्रिख सीतापुर ।

थाना महोली कार्यवाही-

दिनांक 28.05.2022 को क्षेत्राधिकारी महोली श्री अमन सिंह के नेतृत्व में थाना महोली पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 1. दिनेश उर्फ दीनू पुत्र नेतन निवासी ग्राम फत्तेपुर हरैया थाना महोली जनपद सीतापुर 2.जितेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र शिवराज मिश्रा निवासी बरबटापुर थाना महोली जनपद सीतापुर को वहद ग्राम फत्तेपुर हरैया से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तगण के कब्जे से मौके से **07 निर्मित शस्त्र, 03 अदद अर्द्धनिर्मित शस्त्र, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर** व शस्त्र बनाने के उपकरण हुए है। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना महोली पर मु0अ0सं0 261/22 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 262/22 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट व 263/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियुक्त दिनेश उर्फ दीनू उपरोक्त पूर्व में नकबजनी/शस्त्र फैक्ट्री/हत्या का प्रयास आदि जैसे विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहा है, जिसके संबंध में अभियुक्त दिनेश उर्फ दीनू उपरोक्त पर कई अभियोग थाना महोली पर पूर्व में पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना/साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहों के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा । जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 261/22 धारा 25(1B) आर्म्स एक्ट थाना महोली सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 262/22 धारा 25(1B) आर्म्स एक्ट थाना महोली सीतापुर।

3. मु0अ0स0 263/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना महोली सीतापुर।

अभियुक्तगण का नाम/ पता-

1. दिनेश उर्फ दीनू पुत्र नेतन निवासी ग्राम फत्तेपुर हरैया थाना महोली जनपद सीतापुर ।
2. जितेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र शिवराज मिश्रा निवासी बरबटापुर थाना महोली जनपद सीतापुर ।

बरामदगी विवरण-

- 06 अदद तमंचा 12 बोर निर्मित
- 01 अदद तमंचा 315 बोर निर्मित
- 03 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम यादव
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार पाण्डेय
3. उ0नि0 श्री एजाज एहमद खान
4. हे0का0 गेंदालाल यादव थाना
5. का0 अजय कुमार
6. का0 अनुज कुमार

अपराधिक इतिहास दिनेश उर्फ दीनू-

1. मु0अ0स0 44/88 धारा 380/411 भा.द.वि. थाना महोली जनपद सीतापुर ।
2. मु0अ0स0 311/92 धारा 380 भा.द.वि. थाना महोली जनपद सीतापुर ।
3. मु0अ0स0 87/99 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना महोली जनपद सीतापुर ।
4. मु0अ0स0 110/16 धारा 110 सीआरपीसी थाना महोली जनपद सीतापुर ।
5. मु0अ0स0 412/16 धारा (25 1-वी) आर्म्स एक्ट थाना महोली जनपद सीतापुर ।
6. मु0अ0स0 408/16 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना महोली जनपद सीतापुर ।
7. मु0अ0स0 92/18 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना महोली जनपद सीतापुर ।
8. मु0अ0स0 992/19 धारा 307 भा.द.वि. थाना महोली जनपद सीतापुर ।



थाना कोतवाली-महाला
जनपद-सीतापुर

